(20)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 114/2009 (आरसीएमएस : 2009/00062)

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. डालू पुत्र श्री रामदेव मीना, जाति–मीना, निवासी–मीनावाला, जयपुर।
2. ग्यारसा पुत्र श्री रामदेव मीना, जाति–मीना, निवासी–मीनावाला, जयपुर।
3. छोटू पुत्र श्री रामदेव मीना, जाति–मीना, निवासी–मीनावाला, जयपुर।
4. रामदेव पुत्र श्री जीवन रैगर, जाति–रैगर, निवासी–मीनावाला, जयपुर।
5. बालू पुत्र श्री जीवन रैगर, जाति–रैगर, निवासी–मीनावाला, जयपुर। (मृतक)
   5/1 झूंथालाल पुत्र स्व0 श्री बालू, जाति–रैगर, निवासी–मीनावाला, जयपुर।
   5/2 रामचन्द्र पुत्र स्व0 श्री बालू, जाति–रैगर, निवासी–मीनावाला, जयपुर।
   5/3 नाथूराम पुत्र स्व0 श्री बालू, जाति–रैगर, निवासी–मीनावाला, जयपुर।
   5/4 छगनलाल पुत्र स्व0 श्री बालू, जाति–रैगर, निवासी–मीनावाला, जयपुर।
   5/5 नन्दकिशोर पुत्र स्व0 श्री बालू, जाति–रैगर, निवासी–मीनावाला, जयपुर।
   5/6 रामकिशोर पुत्र स्व0 श्री बालू, जाति–रैगर, निवासी–मीनावाला, जयपुर।
   5/7 केशर देवी पत्नी श्री गोविन्दा पुत्री स्व0 श्री बालू, जाति–रैगर, निवासी–ग्राम ढोढसर, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
   5/8 नारायणी देवी पत्नी श्री भोमाराम पुत्री स्व0 श्री बालू, जाति–रैगर, निवासी–ग्राम शिकारपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   5/9 प्रतापी देवी पत्नी श्री रामस्वरूप पुत्री स्व0 श्री बालू, जाति–रैगर, निवासी–ग्राम हरवंशपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
6. गोविन्दा पुत्र श्री जीवन रैगर, जाति–रैगर, निवासी–मीनावाला, जयपुर।
7. रूगनाथ पुत्र श्री जीवन रैगर, जाति–रैगर, निवासी–मीनावाला, जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 24.12.2019

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–मीनावाला की आराजी खसरा नं0 251/444 रकबा 14 बिस्वा आराजी डालू, ग्यारसा, छोटू पुत्र श्री रामदेव, जाति–मीना के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसे जरिये रजिस्ट्री खातेदार द्वारा रामदेव, बालू, गोविन्दा, रूगनाथ पुत्र श्री जीवन रैगर को नियमों के विपरीत बैचान किये जाने के

फलस्वरूप क्रेतागण के नाम नामान्तरकरण संख्या 33 दर्ज कर स्वीकार किया गया है जो अवैधानिक है। जिसे निरस्त किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स किया जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम–मीनावाला की आराजी खसरा नं0 251/444 रकबा 14 बिस्वा आराजी डालू, ग्यारसा, छोटू पुत्र श्री रामदेव, जाति–मीना के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसे जरिये रजिस्ट्री खातेदार द्वारा रामदेव, बालू, गोविन्दा, रूगनाथ पुत्र श्री जीवन रैगर को नियमों के विपरीत बैचान किये जाने के फलस्वरूप क्रेतागण के नाम नामान्तरकरण संख्या 33 दर्ज कर स्वीकार किया गया है जो अवैधानिक है। जिसे निरस्त किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स किया जावे।

अप्रार्थी रामदेव, बालू, गोविन्दा, रूगनाथ रैगर के वारिसान ने जरिये अभिभाषक जवाब प्रस्तुत किया कि उनके पूर्वजों द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्ष 1969 में ही वादग्रस्त आराजी को क्रय कर लिया था और अब वादग्रस्त आराजी के सद्भाविक जायज काबिज काश्तकार बहैसियत मालिक हो गये थे। वादग्रस्त आराजी को उचित प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है और मौके की स्थिति अब बदल चुकी है 35 वर्ष की अत्यधिक दीर्घ अवधि के पश्चात् रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र ड्राप फरमाया जावे।

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस पेरोकार सरकार कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कब्जेशुदा खातेदारी की भूमि है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के अनुसार गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विक्रय नहीं किया जा सकता है। नकल नामान्तरकरण संख्या 33 के कॉलम संख्या 14 व 16 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी को अनुसूचित जनजाति के खातेदार द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति यथा अनुसूचित जाति–रैगर जाति के व्यक्ति को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किक्रय किया गया है ऐसा विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 द्वारा वर्जित है और वादग्रस्त आराजी का विक्रय धारा 42 के उल्लंघन में हुआ है ऐसी स्थिति में किया गया विक्रय प्रारंभ से शून्य

(22)

होने से अवैध है और लोक–नीति के विरूद्ध है। अतः वादग्रस्त आराजी के विक्रेता मीणा जाति के खातेदार काश्तकार की खातेदारी में वादग्रस्त आराजी को पुनः लगाया जाना न्यायसंगत पाते है। अतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी के संबंध में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा किये गये बैचान के आधार पर स्वीकार किये गये नामान्तरकरण संख्या 33 को निरस्त करने एवं मीणा जाति के काश्तकारों की खातेदारी में पुनः लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकारान को दिनांक 18.03.2020 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर